# INDEX


| Starred Question No. *46 | | |
|---|---|---|
| Sr. No. | Contents | Page No. |
| 1. | Reply in English | 1 |
| 2. | Reply in Hindi | 2 |
| 3. | Note for Pad (English) | 3 |
| 4. | Note for Pad (Hindi) | 4 |

## Rehabilitation of Displaced Families

***46. Sh. GOPAL KANDA, M.L.A, (Sirsa)**: will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that approximately 800 families of Thed in Sirsa were displaced and temporarily settled in the Housing Board flats by the Archaeological Department.

b) Whether it is also a fact that the Hon'ble High Court has delivered its orders for the permanent residence of above said displaced families but no arrangement was made by the administration for their permanent residence so far; and

c) Whether there is any proposal under consideration of the Government for providing permanent residence to the above said families?

**REPLY:**

**Sh. Kanwar Pal, Minister, Heritage & Tourism, Haryana.**

Sir,

a) Presently 788 flats of Housing Board Haryana in Sector-19, Sirsa are under occupation of Thed Mound residents who were shifted by District Administration, Sirsa.

b) The Hon'ble Punjab and Haryana High Court in its order dated 15.09.2017 directed as follows:-

"*.....we direct that an affidavit of the Government by filed before us with a complete roadmap to be adopted to comply with the orders of this Court in totality and free the site of its occupants to restore it to a state that would enable the Archaeological Survey of India to carry out excavations....*".

The matter related to removal of encroachment from protected lands under the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

c) Yes Sir, The Deputy Commissioner, Sirsa has identified land in 15 Gram Panchayats located in Sirsa and Nathusari Chopta for allotment of plots for rehabilitating the affected persons. Based on the rehabilitation plan submitted by the district Administration, a detailed proposal is under preparation by the Archaeology Department and is under consideration of the Government.

## विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

*46 श्री गोपाल कांडा, विधायक, सिरसा: क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

क) क्या यह सच है कि सिरसा में थेड़ के लगभग 800 परिवारों को पुरातत्व विभाग द्वारा विस्थापित कर हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में अस्थायी रूप से बसाया गया था:

ख) क्या यह भी सच है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त विस्थापित परिवारों के स्थायी निवास के आदेश तो दे दिए है लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक उनके स्थायी निवास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है;

ग) क्या उपर्युक्त परिवारों को स्थाई निवास प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

जवाब:

**श्री कवर पाल, मंत्री, विरासत एवं पर्यटन, हरियाणा**

श्री मान जी,

**क)** वर्तमान मे सैक्टर–19, सिरसा में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के 788 फ्लैट थेड़ टीला निवासियों को आबंटित किए गए है, जिन्हें जिला प्रशासन सिरसा द्वारा स्थानांतरित किया गया था।

**ख)** माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए है:–

*"..... निर्देश दिए जाते है कि इस अदालत के आदेशों का समग्र रूप से पालन करने के लिए अपनाए जाने वाले एक पूर्ण रोड मैप के साथ सरकार एक हल्फनामा दायर करे और साईट पर रहने वालों से साईट को मुक्त किया जाए, ताकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खन्न के कार्यो को प्रारम्भ कर सके।"*

संरक्षित भूमि से अतिकमण हटाने का मामला प्राचीन संरमारक एवं पुरातात्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन है।

ग) हॉ श्रीमान जी, उपायुक्त सिरसा द्वारा सिरसा और नाथूसरी चौपटा में स्थित 15 ग्राम पंचायतों में प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्लाट आंबटन हेतु भूमि की पहचान की है। जिला प्रशासन द्वारा पेश की गई पुनर्वास योजना के आधार पर एक विस्तृत प्रस्ताव को पुरातत्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो सरकार के विचाराधीन है।

## NOTE FOR THE PAD

It is submitted that Housing Board Haryana constructed 1260 Type-B Flats (triple storied) in Sector-19, Sirsa in November 2015. Meanwhile, a CWP No. 21123 of 2012 titled "Jai Kishore & Others verses Union of India & Others" was converted into COCP No. 1824 of 2012- Court on its own motion Vs. J. Ganeshan, D.C. Sirsa by the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.

The Court in its order dated 15.09.2017 directed as follows:-

*"Since our endeavor in the present petition is to ensure liberation of the ancient monuments and sites of occupants and squatters to preserve the cultural heritage, we direct that an affidavit of the Government be filed before us with a complete roadmap to be adopted to comply with the orders of this Court in totality and free the site of its occupants to restore it to a state that would enable the Archaeological Survey of India to carry out excavations. We make it amply clear that restraint order, if any passed in this regard, in matters pending before this Court (CWP nos. 12355, 12356,12478,12483,12479 of 2016 etc) pertaining to that area shall not be construed to be impediment in the onward progress of eviction and rehabilitation and same stands vacated."*

In compliance with the orders of Hon'ble High Court dated 15.09.2017, it was decided in a meeting held on 26.10.2017 under the chairmanship of the Hon'ble Chief Minister, that the unauthorized occupants should be evicted from the land of Thed Mound and shifted to Housing Board flats in Sector-19 or Sector- 21 Sirsa and DG Archaeology and Museums Department should be physically present on the site at Sirsa during removal of encroachment. Accordingly, the process of eviction started on 28.10.2017 as per directions of the Hon'ble High Court and consequently, the oustees of Thed Mound were shifted in 788 flats of Housing Board in Sector- 19, Sirsa.

In order to remove all the encroachers from Thed Mound and consequent to the above, the D.C, Sirsa has identified land in 15 Gram Panchayats located in Sirsa and Nathusari Chopta for allotment of plots for rehabilitating the affected persons. An estimate of Rs. 4880.00 Lakh has been submitted by Deputy Commissioner, Sirsa for the purchase of land and other necessary arrangements.

A detailed proposal is under preparation by the Archaeology Department and shall be submitted to the Cabinet.

## नोट फोर पैड

हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा नवम्बर, 2015 में सैक्टर–19, सिरसा में 1260 टाइप– बी फ्लैट्स (तीन मंजिला) का निर्माण किया गया। इस दौरान सी0डब्लू0पी 21123 ऑफ 2012 जिसका शीर्षक ''जय किशोर और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य'' को सी0 ओ0 सी0 पी0 संख्या 1824 ऑफ 2012 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा स्वंय के प्रस्ताव बनाम जे0 गणेशन, उपायुक्त सिरसा में परिवर्तित किया गया।

माननीय न्यायालय ने दिनांक 15.09.2017 को आदेश पारित करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:–

*चूंकि वर्तमान याचिका में हमारा प्रयास सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्राचीन स्मारकों से कब्जेदारों और अतिक्रमणकारियों को स्थल से हटाना सुनिश्चित करना है। हम निर्देश देते है कि सरकार के द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें सम्पूर्ण कार्य योजना और माननीय न्यायालय के आदेश समग्र रूप से पालना सुनिश्चित हो और स्थल को खाली करने के लिए समग्र योजना तैयार की जाए जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्खनन करने में सक्षम करेगा। हम यह स्पष्ट करते है कि इस सम्बन्ध में स्वंय आदेश यदि कोई पारित किया गया है। जो माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित मामले (सी0डब्ल्यु0पी संख्या 12355, 12356, 12478, 12483, 12479 आफ 2016 आदि) और उस क्षेत्र को बेदखली और पुनर्वास की आगे की प्रगति में बाधा नहीं माना जाएगा और स्थल को खाली कर दिया जाएगा।*

तदानुसार माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 15.09.2017 के आदेशों की पालना में दिनांक 26.10.17 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनाधिकृत निवासियों को थेड़ माउण्ड सिरसा खाली करवाकर सैक्टर–19 या सैक्टर–21 सिरसा में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के फलैट में पुनर्वास करने का निर्णय लिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान महानिदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग स्थल पर स्वंय उपस्थित रहेंगें। निर्देशानुसार दिनांक 28.10.2017 को भूमि खाली करवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई और फलस्वरूप थेड़ टीला के विस्थपितों को सैक्टर–19, सिरसा हाउसिंग बोर्ड के 788 फ्लैटों में स्थानातंरित किया गया।

थेड़ टीले से सभी अतिक्रमणकारियों को हटाने के फलस्वरूप उपायुक्त, सिरसा द्वारा सिरसा और नाथूसरी चौपटा में स्थित 15 ग्राम पंचायतों में प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्लाट आबंटन के लिए भूमि की पहचान की है। उपायुक्त सिरसा द्वारा भूमि की खरीद एवं अन्य व्यवस्था के लिए लगभग 4880.00 लाख रूपये का अनुमान भेजा है।

पुरातत्व विभाग द्वारा एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जो कि कैबिनेट को प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।